अध्यक्ष महोंदया,
—————————

नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में भवन निर्माण विधि दिनांक 29.1.1985 से लागू है उक्त विधि की धारा 8 में संसोधन दिनांक 26.11.1996 से लागू है जिसमें 100 वर्ग फुट पर 10 रु शुल्क नियत किया गया था तब से अब तक किसी प्रकार का संसोधन उक्त दरो में या उप विधि में नही किया गया है जब की नगर पंचायत का वार्ड़ मखदूमनगर,लोहियानगर एंव रसूलपुर का आंशिक भाग तथा बीबी बिलाई मार्ग पर नगर पंचायत के वासियो एंव बाहर के लोगो द्वारा बैनामें की भुमि ले कर व्यवसायिक/खानकाह/निजी धर्म शालाओ के रुप में प्रयोग किया जा रहा है । नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में भवन निर्माण विधि में कही भी व्यवसायिक भवनो के निमार्ण हेतु अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान नही किया गया है जबकी उपरोक्त वार्ड़ो में अधिकतर लोग जो मानचित्र पास करातें है उसे अपने आवसी प्रयोग हेतु प्रदर्शित करते है जब कि भैतिक सत्यापन में मेंरे द्वारा स्ंवय यह पाया गया है कि यह लोग कमरो को बड़ी संख्या में किराय पर उठाते है एंव आय हुए जायरीनो से काफी रुपया वसूल करतें है वार्ड़ मखदुमनगर एंव लोहियानगर में बैनामें दार बैनामा में प्रायः यह दिखाते है कि वे कृषी कार्य हेतु बैनामा लिए है परन्तु बैनामें के बाद ही उनके द्वारा कार्यालसय में बैनामें की भूमि पर भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन कर दिया जाता है

उपरोक्त दोनो परिस्थितयो में नगर पंचायत के राजस्व की गम्भीर छति हो रही है नगर पंचायत का वार्ड़ मखदूमनगर,लोहियानगर एंव रसूलपुर का आंशिक भाग तथा बीबी बिलाई मार्ग पर व्यवसायिक /किराए वसूल करने वाले भवनो पर नगर पंचायत को जोनो में बाटकर शुल्क नए प्रकार से लगाने की आवश्यकता है साथ ही भवन निर्माण विधि दिनांक 29.1.1985 में परिवर्तन करने की अति आवश्यकता है जिससे नगर पंचायत को शासन द्वारा वसूली के निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त किया जा सके साथ ही नगर निधि को अधिक समृध किया जा सके जिससे नागरीको को और अधिक बेहतर बेहतर सुविधाए प्रदान किया जा सके ।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा
अम्बेड़करनगर

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है ।

1—समस्त मा0वार्ड सदस्य एंव नामित सदस्यगण

अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा
अम्बेड़करनगर